छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

—::आदेश::—

नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 05/10/2023

क्रमांक 5133/आर–3093/2022/22–1 (पार्ट) :: राज्य शासन द्वारा प्रदेश के ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों के स्वीकृत मानदेय/वेतनमान के संबंध में विभागीय आदेश क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2018/289, दिनांक 15.05.2018 को, अधिक्रमित करते हुए, निम्नानुसार नवीन संशोधित वेतन संरचना तथा अन्य सुविधाएं, निम्न शर्तों के अनुसार स्वीकृत किया जाता है :–

1/ **विशेष भत्ता :–**

(अ) 15 वर्ष से कम सेवा अवधि वाले ग्राम पंचायत सचिव – रूपए (3500–10000) + 1100 ग्रेड–वेतन तथा रूपये 4000 विशेष भत्ता।

(ब) 15 वर्ष से अधिक सेवा अवधि वाले ग्राम पंचायत सचिव – रूपए (5200–20200) + 2400 ग्रेड–वेतन तथा रूपये 3000 विशेष भत्ता।

2/ **अवकाश की पात्रता :–** ग्राम पंचायत सचिवों को एक कैलेण्डर वर्ष में, निम्नानुसार अवकाश की पात्रता रहेगी :–

(क) 25 दिवस अर्जित अवकाश।

(ख) 12 दिवस आकस्मिक अवकाश।

(ग) महिला ग्राम पंचायत सचिव जिसकी दो से कम जीवित संतान हैं, को 180 दिवस तक के लिये मातृत्व अवकाश, (गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जन्म के छःमाह पश्चात् तक के लिये) स्वीकृत किया जा सकता है।

(घ) पुरूष ग्राम पंचायत सचिव जिसके दो से कम जीवित संतान हैं, को 15 दिवस का पितृत्व अवकाश, (बच्चे के जन्म के 15 दिवस पहले से लेकर छःमाह पश्चात् तक के लिये) स्वीकृत किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत सचिवों को भविष्य में, इस आदेश के तहत, किसी भी प्रकार के अवकाश नगदीकरण की पात्रता नहीं होगी।

3/ **उपादान :–**

(क) 05 वर्ष से अधिक निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके पंचायत सचिवों को, उनके सेवानिवृत्त होने पर, अर्हतादायी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छःमाही समयावधि के लिए, उनकी अंतिम उपलब्धियों के एक–चौथाई के बराबर, उपलब्धि के 16.5 गुना से अधिकतम के अध्याधीन रहते हुये, उन्हें उपादान स्वीकृत किया जा सकेगा।

(ख) 05 वर्ष की निरंतर सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् यदि सेवा में रहते हुए, किसी पंचायत सचिव की मृत्यु हो जाती है, तो उपादान की धनराशि उसकी कुल अंतिम उपलब्धियों के 10 गुना के बराबर अथवा खण्ड (क) के अधीन निश्चित की गई धनराशि, जो भी अधिक होगी, उसका भुगतान किया जाएगा।

(ग) उपरोक्त खण्ड (क) और (ख), दोनों के लिये, देय उपादान राशि 10.00 लाख रूपये से अनाधिक होगी।

4/ **चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति :–**

(क) ग्राम पंचायत सचिवों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी।

(ख) यह सुविधा शासन द्वारा समय–समय पर, अद्यतन की गई मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में, अंतः रोगी (In-patient) के रूप में कराये गये उपचार हेतु ही प्रदाय की जाएगी।

(ग) चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष 05.00 लाख रूपये होगी।

(घ) इसकी विस्तृत प्रक्रिया पृथक से जारी की जायेगी।

5/ **नियम/शर्ते :-**

i. यह आदेश दिनांक 01.10.2023 से प्रभावशील होगा। अर्जित अवकाश एवं आकस्मिक अवकाश, केवल वर्ष 2023 के लिये, आनुपातिक रूप से देय होगा।

ii. पंचायत सचिवों को प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई को, 03 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगी।

iii. समय-समय पर लागू मंहगाई भत्ता देय होगा।

iv. प्रस्तावित वेतन भत्तों एवं अन्य सुविधाओं में वृद्धि का कोई भी लाभ, भूतलक्षी प्रभाव से देय नहीं होगा और न ही इनके संबंध में कोई एरियर्स देय होगा। प्रस्तावित वेतन भत्तों के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे।

v. ऐसे कोई भी पंचायत सचिव के प्रकरणों में, जो इन प्रस्तावित सुविधाओं के प्रभावशील होने के दिनांक (01.10.2023) से पूर्व, अनियमित रूप से अनुपस्थित हैं/थे या उनकी सेवा संबंधी प्रकरण, न्यायालय में विचाराधीन हों, उन्हें ऐसी सुविधाओं की पात्रता के दायरे में तभी लाया जायेगा, जब उनके ऐसी अनियमित अनुपस्थिति का विधिवत पूर्ण निराकरण हो जाये या विचाराधीन न्यायालयीन प्रकरण का अंतिम निराकरण हो जाये।

vi. ऐसे कोई भी पंचायत सचिव जिनके विरूद्ध विभागीय जांच अंतिम रूप से निराकृत नहीं की गई हो एवं/अथवा जिनके विरूद्ध किसी भी प्रकार के दाण्डिक प्रकरण प्रचलित हों, तो अंतिम निराकरण तक, उन्हें इस आदेश में प्रस्तावित सुविधाओं के दायरे में नहीं लाया जायेगा।

6/ **यह आदेश वित्त विभाग के जावक क्र. 1107/सी.एन.-22-00426, 00407/बजट-2/वित्त/ चार 2023, दिनांक 04.10.2023 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर दिया गया है।**

छ.ग. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

1/10/23

(अशोक चौबे)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक 5134 /आर-3093/2022/22-1 (पार्ट) नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 05/10/2023

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
2. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, पंचायत संचालनालय, विकास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. समस्त उप संचालक, पचांयत, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. आर्डर बुक।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग